न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 87 / 2024
वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

मनप्रीत कौर पत्नी श्री परमवीर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी संगरिया संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीया

बनाम

1. जसकरण सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज)
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री बगा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक ।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक ।
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :—
1. श्री प्रमोद डेलू—वकील वादीया
2. श्री रविन्द्र कुमार —वकील प्रति.सं. 1,2 व 4

दिनांक :— 13.8.2024

निर्णय

वादीया मनप्रीत कौर ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता विभाजन के तहत दिनांक 07.03.2024 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादीया एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एन.टी डब्ल्यु. के खाता सं. 37 / 42 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में 253 / 3131 हिस्सा अर्थात् 0.506 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त कृषि भूमि वादीया ने जरिये पंजीकृत बैयनामा के माध्यम से दिनांक 04.06.2019 को प्रतिवादी सं 2 से खरीद की थी। वादीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एन टी डब्ल्यु के खाता सं. 37 / 42 जमावन्दी सम्वत् 2071—74 में 253 / 3131 हिस्सा अर्थात् 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादीया ने जरिये पंजीकृत वैयनामा के माध्यम से दिनांक 04.06.2019 को प्रतिवादी सं. 2 से खरीद की थी। जिसका वादीया ने खरीद के रोज से ही अन्य सहकाश्तकारान के साथ अच्छी गन्दी अनुसार बंटवारा कर लिया था तथा मौका पर मुताबिक बंटवारा काबिज होकर वादीया काश्त करती चली आ रही है। यादीया का कब्जाकाश्त वावत् अन्य किसी भी सहकाश्तकारान के साथ कोई विवाद नही है तथा मौका पर मुताबिक यंटवारा काबिज होकर वादीया काश्त करती चली आ रही है। ... बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है

(क) वादीया मनप्रीत कौर पत्नी श्री परमवीर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज) के हक, हिस्सा व कब्जा काश्त की कार्य ...

चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 37 / 42 जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 प.नं. 177 / 171 मु.नं. 29 कि.नं. 4 / 1 / 0 228 है 4 / 2 / 0.025 है, 7 / 0 253 है कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:37:10
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीया बंटवारा के रोज से ही बाद पत्र की चरण सं 3 में वर्णितानुसार कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है उक्त कृषि भूमि की कब्जा काश्त बावत् कोई विवाद नहीं है परन्तु वाटरमेन्ट शुल्क, रकम आदि राज्य सरकार को अदा करने में अनेको कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा सीव बट को लेकर भी आपस में लड़ाई झगड़े का अंदेशा रहता है। इस कारण वादीया ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीया का खाता अलग कायम करवाकर देने का प्रतिवादीगण से निवेदन किया, तो पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे लेकिन गत सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही बाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को पर्याप्त समय के बावजूद जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 व 4 बैक जवाब पेश हुआ जिसमें बैक हित को ध्यान में रखने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं. 5 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। जमाबन्दी दस्तावेज चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 37/42 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 पेश हुई। दस्तावेज बैयनामा प्रस्तुत हुआ। साक्ष्य वादी में वादीया मनप्रीत कौर का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 37/42 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 2 का नाम अंकित है। प्रतिवादी सं. 2 का स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हो चुका है। वादपत्र में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वादीया के अभिभाषक ने स्वीकारात्म जवाब दावा अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया, जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया। वादपत्र में वर्णित आराजी के खरीदशुदा साक्ष्य के तौर पर पंजीकृत बैयनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 का स्वीकारात्मक जवाब दावा पेश होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र में वर्णित आराजी खरीदशुदा सम्पति है जिस पर वादीया का हित एवं स्वत्व निहित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीया मुताबिक स्वीकारात्मक जवाबा दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 37/42 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 प.नं. 177/171 मु.नं. 29 कि.नं. 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है, 7/0.253 है कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि का खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जाती है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया जाकर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 13.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:10
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अं.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 87/2024

मनप्रीत कौर पत्नी श्री परमवीर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी संगरिया संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

——वादीया

बनाम्

1. जसकरण सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज)
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री बगा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक ।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक ।
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ।

——प्रतिवादीगण

खाता विभाजन हेतु वाद

दिनांक :– 13.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री प्रमोद डेलू वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री रविन्द्र कुमार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीया मुताबिक स्वीकारात्मक जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि कि चक 5 एन.टी.डब्ल्यु. खाता सं. 37/42 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 प.नं. 177/171 मु.नं. 29 कि. नं. 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है, 7/0.253 है कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि का खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जाती है।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

निज......X......निल.......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ......13.8.24...... को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:37:10 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया